फर्द अहकाम 2020/00209

लय सहायक कलक्टर बस्ती जिला [illegible]

मनषा बनाम अर्जुन

मा संख्या /वर्ष : 118 /20 20.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/01/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस दिनांक 06/02/2023 को पेश हो।	
06/02/23	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। आन्तिम बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 07/02/23 को पेश हो।	
07/02/23	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने एव उभय पक्षों की बहस पर मनन करने पर हम पाते है कि-	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		वादिया का वाद डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खि. नं. 41 रकबा 0.3414 हे० ग्राम खोरी तह० बस्सी जिला जयपुर में 2/3 हिस्सा वादिया एवं 1/3 हिस्सा प्रति-प्र-(3) एवं (4) को खातेदार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलेक्टर बस्सी जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मनभर पत्नि हरचन्दा जाति मीणा निवासी ढाणी बडीवाली ग्राम खोरी तहसील बस्सी, जि. जयपुर।		1. अर्जून पुत्र रामेश्वर (फौत) 1/1 बवाभी 1/2 सुवाभी 1/3 रणजीत 1/4 हरकेश 1/5 गिरीराज पुत्रान स्व. अर्जून समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम धूला तहसील जमवारामगढ जि. जयपुर 2. छोटूराम पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम अप्रेटा तहसील बस्सी, जि. जयपुर। 3. मोतीलाल पुत्र भौरीलाल 4. रामनारायण पुत्र भौरीलाल समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खोरी ढाणी बडीवाली तहसील बस्सी जि. जयपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर 6. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 118/2020

निर्णय दिनांक 07.02.2023

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर एक पक्षीय बहस पूर्व मे सुनी गयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है–

यह कि वादिया ने दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया की विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की डिकी बहक वादीया इस आशय की जी कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2/1 रकबा 0.3414 हैक्टेयर (1 बीघा 7 बिस्वा) वाके ग्राम खोरी तहसील बस्सी जिला जयपुर के 2/3 हिस्से (18 बिस्वा भूमि) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा शेष 1/3 हिस्से (9 बिस्वा भूमि) का खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावें एवं वादग्रस्त भूमि ख.नं. 2/1 मे

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज अवैध खातेदारी इन्द्राज को निरस्त किया जाकर वादीया के नाम 2/3 हिस्से व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज की जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाये एवं दावा वादीया विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वे वादग्रस्त भूमि ख.न. 2/1 रकबा 0.3414 है० वाके ग्राम खोरी तहसील बस्सी में किसी प्रकार की दखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम के अवैध हुये अंकन के आधार पर जबरन कब्जा कर वादीया को बेदखल करने की च्येष्ठा न करे न ही विक्रय एवं हस्तान्तरण करे तथा न ही जबरन कब्जा कर कोई निर्माण कार्य करावे।

प्रतिवादीगण की तलबी हेतू रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की पर्याप्त तामिल होने पर भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादी अधिवक्ता द्वारा निम्न प्रदर्श पेश किये।

1. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2076–2079 — Ex P1
2. प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तकरण सं. 481 दिनांक 18.12.2010 Ex P2
3. प्रमाणित प्रतिलिपी प्रा. पत्र छोटूराम दिनांक 18.10.2006 Ex P3
4. प्रमाणित प्रतिलिपी विक्रय पत्र अर्जून बहक छोटूराम दिनांक 28.06.1997 Ex P4
5. प्रमाणित प्रतिलिपी शपथ पत्र छोटूराम मीणा दिनांक 18.10.2006 Ex P5
6. प्रमाणित प्रतिलिपी इकरार नामा बाबत सहमती पत्र दिनांक 25.08.2007 Ex P6

वादीया ने अपनी साक्ष्य हेतु बयान शपथ पत्र पेश किये। वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नही करने पर प्रकरण को अंतिम बहस हेतु नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता की वादपत्र पर बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने एवं वकील वादी द्वारा वादपत्र पर की गयी बहस पर ध्यानपूर्वक मनन करने पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विवादित खसरा नं. 2/1 ग्राम खोरी तह. बस्सी जिला जयुपर मे से 1012 वर्ग मीटर (8 बिस्वा भूमि) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 को चार लाइन में परिवर्तित करने हेतु अवाप्त की गई जिसका नामान्तकरण संख्या 481 दिनांक 18.12.2010 तहसीलदार बस्सी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम तस्दीक कर नया खसरा नं 485/2 रकबा 1012 वर्गमीटर बनाया गया जिसमे प्रतिवादी सं. 1 अर्जून पुत्र रामेश्वर की 200/1812 दर हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण व प्रतिवादी सं. 2 छोटूराम पुत्र कल्याण की 73/1812 दर हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त की जा चूकी है एवं उनको समक्ष प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 द्वारा मुआवजा भी दिया जा चूका है। प्रतिवादी सं. 1 अर्जून पुत्र रामेश्वर व प्रतिवादी सं. 2 छोटूराम पुत्र कल्याण की अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अवाप्त होने

के पश्चात वादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार नही रहे है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित व न्यायसंगत समझते है।

अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख. न. 2/1 रकबा 0.3414 हैक्ट स्थित ग्राम खोरी तह. बस्सी जिला जयपुर में 2/3 हिस्सा वादिया का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 व 4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज अवैध खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वादीया के नाम 2/3 हिस्से व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज की जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार बस्सी को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख. न. 2/1 रकबा 0.3414 हैक्ट स्थित ग्राम खोरी तह. बस्सी जिला जयपुर में वादीया के कब्जे काश्त एवं काश्त कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे नही किसी अन्य से करावे न ही बेदखल करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मनभर पत्नि हरचन्दा जाति मीणा निवासी ढाणी बडीवाली ग्राम खोरी तहसील बस्सी, जि. जयपुर।		1. अर्जून पुत्र रामेश्वर (फौत) 1/1 बवाभी 1/2 सुवाभी 1/3 रणजीत 1/4 हरकेश 1/5 गिरीराज पुत्रान स्व. अर्जून समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम धूला तहसील जमवारामगढ जि. जयपुर 2. छोटूराम पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम अप्रेटा तहसील बस्सी, जि. जयपुर। 3. मोतीलाल पुत्र भौरीलाल 4. रामनारायण पुत्र भौरीलाल समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम खोरी ढाणी बडीवाली तहसील बस्सी जि. जयपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर 6. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर

<u>दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा न0 118/2020

निर्णय दिनांक 07.02.2023

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख. न. 2/1 रकबा 0.3414 हैक्ट स्थित ग्राम खोरी तह. बस्सी जिला जयपुर में 2/3 हिस्सा वादिया का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 व 4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज अवैध खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वादीया के नाम 2/3 हिस्से व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज की जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार बस्सी को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख. न. 2/1 रकबा 0.3414 हैक्ट स्थित ग्राम खोरी तह. बस्सी जिला जयपुर में वादीया के कब्जे काश्त एवं काश्त कार्य में किसी प्रकार की

26

Scanned with OKEN Scanner

दखलंदाजी न तो स्वयं करे नही किसी अन्य से करावे न ही बेदखल करे। ....निजी...................मुबलिक..................बाबत...............खर्चा..................इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.02.2023 को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा..................................

दस्तख्त..............................

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner